लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **तारा चन्द मीणा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 43 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 05.04.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/159

श्री देवीलाल पिता हरलाल आमेरिया निवासी F–97, सेक्टर–5, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 04.05.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 43 / 2021 / (04.05) / 315 दिनांक 07.04.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 04.05.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 04.05.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 43/2021 (सू.अ.)
श्री देवीलाल आमेरिया निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/178 दिनांक 28.04.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री देवीलाल पिता हरलाल आमेरिया निवासी एफ–97, सेक्टर नं. 05, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी आवेदन पत्र से वांछित सूचना के समस्त तथ्य उप पंजीयक कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2734 दिनांक 18.02.2021 से उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित किया गया।
3. यह कि वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के उक्त पत्रांक से अवगत कराया गया। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी को आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/178 दिनांक 28.04.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.02.2021 से चार बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 43 / 2021 (सू.अ.)
श्री देवीलाल आमेरिया निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया जाना प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 6(3) में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षैत्राधिकार नहीं रह जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत अपील पर इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं होने के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 43 / 2021(सू.अ.) / 397 दिनांकः– 04 / 05 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री देवीलाल पिता हरलाल आमेरिया निवासी एफ–97, सेक्टर नं. 05, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested